



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 481]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 17, 2014/भाद्र 26, 1936

No. 481]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 17, 2014/BHADRA 6, 1936

कृषि मंत्रालय

पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2014

सा.का.नि. 667(अ).-तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 24 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा तटवर्ती जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः:

तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2005 में अनुबंध-2 में खंड-2 में, पैरा 6 में "निरीक्षण दल ऐसे स्टाक को ऐसी किसी भी प्रक्रिया से नष्ट कर सकते हैं जैसा वे उपयुक्त महसूस करें" शब्दों के लिए "निरीक्षण दल ऐसे स्टाक को ज़ब्तकर, निबटारा और/या नष्ट सकते हैं जैसा वे उपयुक्त महसूस करें" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 33036/1/2008-मा.(टी-2)]

राजा शेखर वुन्दू, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खंड(i) में सा.का.नि. 740(अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2005 और तदुपरान्त सा.का.नि. 302(अ), दिनांक 30 अप्रैल, 2009, सा.का.नि 914(अ), दिनांक 18 दिसम्बर, 2009, सा.का.नि 280(अ), दिनांक 23 मार्च, 2012 और सा.का.नि. 695 (अ), दिनांक 14 सितम्बर, 2012 को संशोधित करते हुए प्रकाशित किया गया था।